संख्या—1883 / 79-6-2015

प्रेषक,

आशीष कुमार गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2016

विषय: प्रदेश में कक्षा-1 से 8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन हेतु बर्तन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-म0भो0प्रा0/9094/2015-16 दिनांक 21.12.2015 के क्रम में सम्यक-विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार बर्तन (खानों वाली थाली एवं गिलास) क्रय किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बर्तन की विशिष्टियॉं, आकार एवं वजन:-

बर्तनों के क्रय हेतु स्पेसीफिकेशन निम्नवत् होंगे:-

क्र0	बर्तन का प्रकार	बर्तन की विशिष्टियॉं	आकार	वजन
1.	खानों वाली थाली	स्टेनलेस स्टील ग्रेड 202 With Nickel not less than 1%	गोल, 12.50 इंच का Diameter	300 ग्राम
2.	गिलास	स्टेनलेस स्टील ग्रेड 202 With Nickel not less than 1%	कोणाकार, 3.9 इंच ऊँचाई, Upper Diameter 2.8 इंच, Lower Diameter 2 इंच, Capacity 300 ml	75 ग्राम

(2) बर्तनों की क्रय प्रक्रिया:-

बर्तनों के क्रय हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीयकृतरूप से निविदा प्रकिया सम्पादित की जायेगी एवं क्रयादेश निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात बर्तनों की आपूर्ति जनपद/ब्लाक पर होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर से की जायेगी।

(3) टेण्डर कमेटी का गठन:-

बर्तनों के क्रय हेतु निम्नानुसार टेण्डर कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण — अध्यक्ष
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, के प्रतिनिधि– सदस्य
3. राज्य परियोजना कार्यालय,सर्व शिक्षा अभियान, के प्रतिनिधि– सदस्य
4. वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण –सदस्य सचिव

उक्त टेण्डर कमेटी में कमेटी के सहायतार्थ निदेशक, बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञ प्रतिनिधि को भी विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

(4) बर्तनों के कय के संबंध में टेण्डर प्रकिया:–

बर्तनों के कय हेतु आपूर्तिकर्ताओं के चयन में पूर्ण पारदर्शिता/नियमों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा तत्काल निम्नवत कार्यवाही सम्पादित करायी जाएगी:–

1. टेन्डर प्रारूप विकसित कर आमंत्रित करने की कार्यवाही।
2. प्री–बिड कान्फ्रेसिंग ।
3. प्री–बिड कान्फ्रेंस में प्राप्त सुझावों को औचित्य के अनुसार सम्मिलित कर टेन्डर प्रारूप को अन्तिम रूप देते हुए टेन्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही।
4. टेन्डर कमेटी की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आपूर्तिकर्ता का चयन ।
5. चयनित आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपद स्तर पर बर्तन आपूर्ति।
6. गुणवत्ता टेस्टिंग (Testing) हेतु प्रयोगशाला (Laboratory) चिन्हित करते हुए गुणवत्ता परीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण।

(5) भुगतान प्रकिया:–

बर्तनों के कय मद में प्राविधानित धनराशि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखी जायेगी और मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की जायेगी। प्राधिकरण इसका भली–भांति पर्यवेक्षण करेगा कि जनपद स्तर पर भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता परीक्षण के उपरान्त टेण्डर की शर्तो के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही की जाय और इसकी रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, तथा टेण्डर प्रारूप को अंतिम रूप देते हुए टेण्डर कमेटी की अबिलम्ब बैठक आयोजित कराकर समबद्धरूप से कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष कुमार गोयल)
सचिव।